भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/242/2015/एफ0 सी0/1987 दिनांकः 17/12/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बैठक हेतु सूचना

विषयः—जनपद — बागेश्वर के अन्तर्गत—बालीघाट—धरमघी—खन्तोली पुल से गुरगुच्चा प्रा0 पा0 स्कूल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.63 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/12710/2015)

सन्दर्भः—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक — 1490/ FP/UK/ROAD/12710/2015 दिनांक 27-11-2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10/01/2018 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी जिसकी अनुपालन आख्या 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात राज्य सरकार (सन्दर्भित पत्र) द्वारा प्रस्तुत की है।

इस प्रकरण में अनेको बार ई0डी0एस0 हो चुका है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है वह निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी प्रेषित करें:—

1. राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्गदर्शी के पैरा 1.20 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
2. राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्राम की स्थिति एवं उपलब्ध road network को KML file पर अंकित कर कार्यालय की ई—मेल पर प्रेषित करें।
3. प्रकरण में चर्चा हेतु **दिनांक 23.12.2020 को प्रातः 11:00 बजे बैठक का आयोजन किया गया है।** अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित वन मंडल अधिकारी तथा प्रयोक्ता अभिकरण को इस हेतु सूचित करें।
4. पूर्व में चाही गई सूचनाओं के आधार पर अब राज्य सरकार द्वारा alternate परीक्षण पर पार्ट I Para D पर सूचनायें प्रस्तुत की गयी है साथ ही के0एम0एल0 फाईल पर भी परीक्षण से यह ज्ञात

होता है कि मार्ग के अन्तः बिन्दु पर प्राथमिक पाठशाला है जहां तक मार्ग को ले जाया जा रहा है किन्तु प्रस्तावित प्रारम्भिक बिन्दु जो कि existing मार्ग को कि0मी0 20 पर जोड़ता है के अतिरिक्त ज्यादा सुविधा जनक अन्तिम बिन्दु से existing मार्ग (बागेश्वर–दोफाड–धरमधर मार्ग) को जोड़ना ज़्यादा सुविधाजनक प्रतीत होता है, जिससे पाठशाला के साथ–साथ दर्शित आबादी भी अधिक सार्थक तरीके से मुख्य मार्ग से जुड़ पायेगी।

5. क्योंकि प्रस्ताव को अधिक समय हो गया है एवं नये गाईडलाईन्स के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार जैसा कि PMGSY मानको मे निहित है average width 5.2 m आवश्यक होती है जबकि राज्य सरकार द्वारा felling 9 m पर दिखाई गयी है। अतः राज्य सरकार द्वारा पातन किये जाने वाले वृक्षों की संशोधित details प्रेषित की जायें जो कि मार्ग के लिये RoW 5.2 m एवं मोड़ो पर 6.1 m हो।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)